



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001.

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./3108

बिलासपुर, दिनांक 05.12.2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of 83.6241 Ha. Forest for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur- Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh Pkg.-II (Km. 53+300 to Km 92+500) - Pathrapali to Katghora, area - 83.6421 ha. - regarding
Registraion No. - FP/C.G./ROAD/38519/2019

संदर्भ :-

वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./तक./3060 दिनांक 03.12.2019

— ::000:: —

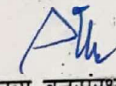
विषयांतर्गत आवेदनकर्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर द्वारा कटघोरा वनमंडल अंतर्गत पथरापाली से कटघोरा रा.रा.संख्या 111 (नया 130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500 पैकेज -2 के अंतर्गत प्रभावित /राजस्व वनभूमि का अधिग्रहण हेतु 83.642 हे. का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत नवीन चेक लिस्ट के अनुसार तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में वनक्षेत्र /राजस्व वन क्षेत्र की कुल 83.642 हे. की मांग पथरापाली से कटघोरा सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन शुल्क हेतु रु. 6,000/- (रु. छः हजार मात्र) एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46,000/- (रु. छियालिस हजार मात्र) वनमंडल कार्यालय कटघोरा में जमा किया गया है।
3. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का घनत्व 0.3 है एवं मिश्रित प्रजाति के 11299 नग वृक्ष खड़े हैं।
4. प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य (पथरापाली से कटघोरा सड़क निर्माण फोरलेन चौड़ीकरण) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वनभूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
5. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वनभूमि का मांग न्यूनतम है।
6. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कोरबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. भारत सरकार के निर्देशानुसार वन अधिकार मान्यता का कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा इस संबंध में आवेदक का वचन पत्र संलग्न है।
8. व्यपवर्तित हेतु प्रस्तावित संरक्षित वनक्षेत्र के आस-पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. परियोजना का Cost benefit Analysis संलग्न है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदन कर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियम 3बी का उल्लंघन नहीं किया गया है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर, प्राकृति झील/वाटरबॉडी, आदिवासी सेटलमेंट, धार्मिक स्थल की सीमा 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्यप्राणी अभ्यारण्य का भाग हाथी कॉरीडोर नहीं है। 10 कि.मी. की परिधि से संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।
13. आवेदित क्षेत्र में सेड्यूल-I के वन्यप्राणियों का लगातार आवागमन होता है, प्रभावित वनक्षेत्र में हाथी समय समय पर विचरण करता है।
14. प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणियों के प्रगमन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा चयनित पाली परिक्षेत्र के कक्ष क्र. पी.143 चटुवाभौना एवं बेलटिकरी राजस्व वनक्षेत्र में 03 ओवरपास आवेदक के व्यय से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे वन्यप्राणी मानव द्वन्द्व में कमी आ सके।
15. वन्यप्राणियों एवं पक्षियों के प्रबंधन एवं संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना प्रस्तावित है।
16. आवेदक द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने के संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
17. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय योजना संलग्न है।

अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों की अनुरूप सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर व्यपवर्तन प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुसंशा सहित संप्रेषित है।

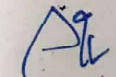
संलग्न : प्रस्ताव 04 प्रतियों में।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

क्र./तक./2019/3109
प्रतिलिपि:

बिलासपुर, दिनांक 05/12/2019

1. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर